

6.11.22

अभ्यपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समथमें कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्राप्त पर अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फेरुला शुमार न. दे कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

४६